

406

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. एक/2016 निगरानी

R-640-147

श्री लखन सिंह धाकर कर्फे  
द्वारा आज दि. 18/02/17 को  
प्रस्तुत


क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-2-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- राजकुमार गर्ग पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र  
निवासी- नहर के पास, पहाडगढ रोड कैलारस,  
तहसील कैलारस, जिला मुरैना म.प्र.
- 2- दिनेशचन्द्र वैश्य पुत्र स्वराजप्रकाश वैश्य  
निवासी- वीरपुर, जिला श्योपुर म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासन. .... अनावेदक

  
Lakhan Singh Dhakar  
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अर्तगत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व  
संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला मुरैना के  
प्र.क. 12/15-16/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.  
12.16 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

### -: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

A. यहकि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1180/1 रकवा 1.463 हेक्टेयर ग्राम नैपरी तहसील कैलारस जिला मुरैना में स्थित है जिसे आवेदकगण द्वारा विधिवत जर्ज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय किया है। प्रश्नाधीन भूमि को दिनांक 05.02.13 को कय किया गया, विक्रेता सुन्दरलाल को प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, विक्रेता द्वारा भूमि विक्रय करने से पूर्व विधिवत कलेक्टर महोदय मुरैना से प्र.क.11/12-13/अ-21 आदेश दिनांक 04.02.13 से विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि को आवेदकगण द्वारा कय किया गया, कय करने के पश्चात विधिवत राजस्व अमिलेखों में विक्रेता सुन्दरलाल के


3  
द्वारा (रा.म.)  
ग्वालियर

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-640-एक/17

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	